

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम-530031

मानव संसाधन विभाग - नीति व नियम अनुभाग

सं.मा.सं./नि.वि./8(11)/2019/e.dak.348

28 दिसंबर, 2019

मानव संसाधन नीति परिपत्र सं. 26/19

**विषय: आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (निश्चित अंशदान) योजना।**

---

उपर्युक्त विषय पर मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.05/19 दि.28.03.2019, मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.12/19 दि.18.09.2019 और मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.16/19 दि.07.10.2019 के अनुसार निम्नलिखित अनुरूप निर्णय लिया गया है:

- i. योजना के नियमों की शर्त पर सेवानिवृत्ति लाभ निधि (एस बी एफ) खाते का निम्नलिखित अनुसार निपटान किया जाएगा:
  - ए) 31.03.2019 के बाद कंपनी से अलग होनेवाले कर्मचारियों के मामले में दो प्रकार के निपटान किये जायेंगे:
    - i. प्रथम वार्षिकी योजना की खरीद का निपटान सदस्य के कंपनी से अलग होने की तिथि तक उसके खाते में मौजूद जमा राशि से निपटान होने की तिथि तक के लिए किया जाएगा।
    - ii. 31.03.2019 तक की अवधि के लिए दूसरी वार्षिकी योजना की खरीद का निपटान आर आई एन एल से कंपनी के अंशदान की बकाया राशि की प्राप्ति के पश्चात होगा।
  - बी) 31.03.2019 से पहले कंपनी से अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उनके कंपनी से अलग होने की तिथि तक वार्षिकी योजना की खरीद का निपटान आर आई एन एल से प्राप्त कंपनी अंशदान की बकाया राशि से किया जाएगा।
- ii. मानव संसाधन नीति परिपत्र सं.16/19 दि.07.10.2019 द्वारा परिचालित 'आर आई एन एल कर्मचारी पेंशन (निश्चित अंशदान) योजना' के खंड 7(सी) के अनुसार वर्तमान में 1) भारतीय जीवन बीमा निगम, 2) एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दो वार्षिकी सेवा प्रदाता होंगे। आगे न्यास द्वारा आवधिक समीक्षा के आधार पर वार्षिकी सेवा प्रदाता सूचीबद्ध किये जा सकते हैं।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(देबाशीष रे)

कार्यपालक निदेशक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध)

वितरण: मानक

यह परिपत्र मानव संसाधन पोर्टल <http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/Circulars.aspx> में उपलब्ध है।

**RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED**  
**VISAKHAPATNAM STEEL PLANT**  
**VISAKHAPATNAM – 530031**  
**HUMAN RESOURCES DEPARTMENT**  
**POLICIES & RULES SECTION**

HR/RR/8(11)/2019/e.dak.348

December 28, 2019


**HR POLICY CIRCULAR No. 26/19**

**Sub: RINL EMPLOYEES PENSION (DEFINED CONTRIBUTION) SCHEME**

---

Further to HR Policy Circular No.05/19 dt. 28.3.2019, HR Policy Circular No.12/19 dt.18.9.2019 and HR Policy Circular No.16/19 dt.07.10.2019 on the above subject, it has been decided as under:

- i. Settlement of Superannuation Benefit Fund (SBF) Account shall be done, subject to the Rules of the Scheme, as below:
    - a) With respect to the employees separating after 31.3.2019, there shall be two settlements:
      - i. Settlement for purchase of 1st annuity scheme shall be made from the amount standing to the credit of member upto the date of separation till the date of settlement.
      - ii. Settlement for purchase of 2<sup>nd</sup> annuity scheme shall be after receipt of arrears of Company Contributions from RINL for the period upto 31.3.2019.
    - b) With respect to the employees who have separated prior to 31.3.2019, settlement for purchase of annuity scheme shall be made after receipt of arrears of the Company Contributions from RINL upto the date of separation.
  - ii. In terms of Clause 7 (c) of the “RINL Employees Pension (Defined Contribution) Scheme” circulated vide HR Policy Circular No.16/19 dt.07.10.2019, there will be two Annuity Service Providers viz. 1) LIC of India, and 2) SBI Life Insurance Co Ltd. for the present. Further Annuity Service Providers can be empanelled by the Trust on periodical review.
2. This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(Debashish Ray)  
ED(P&IR)

Distribution:  
Standard.

This Circular is available on the HR Portal at: <http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/Circulars.aspx>